जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/vg/06 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 23 जून 2021

भाग-6

खुलासा!!

मंत्री को गुमराह कर सूचना के अधिकार से बाहर होने की पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाने वाले भ्रष्ट अधिकारी कौन है?

SPECIAL REPORT

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

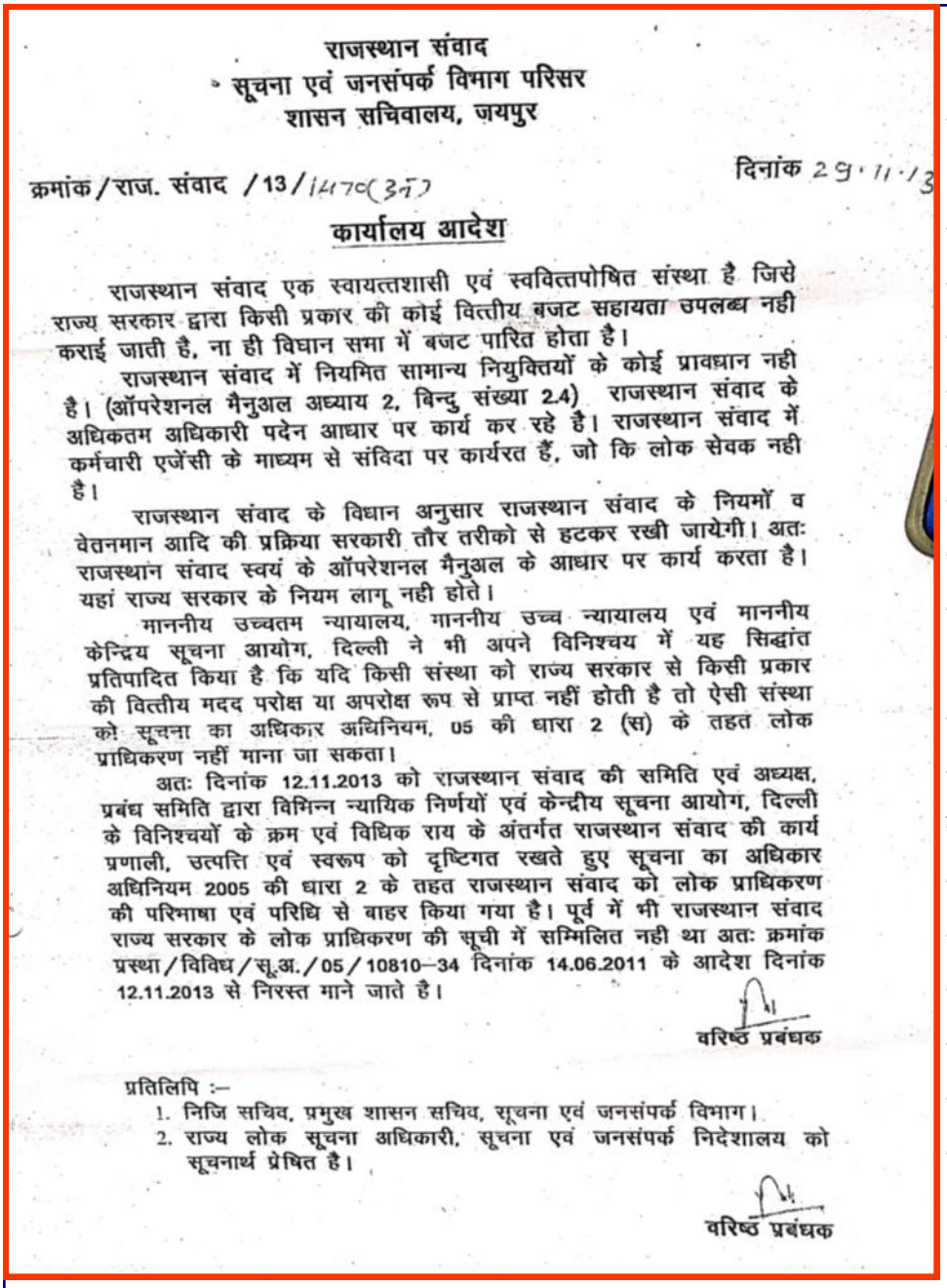

राजस्थान संवाद
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग परिसर
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक/राज. संवाद /13/1470(3न्) दिनांक 29.11.13

कार्यालय आदेश

राजस्थान संवाद एक स्वायत्तशासी एवं स्ववित्तपोषित संस्था है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई वित्तीय बजट सहायता उपलब्ध नही कराई जाती है, ना ही विधान सभा में बजट पारित होता है।

राजस्थान संवाद में नियमित सामान्य नियुक्तियों के कोई प्रावधान नही है। (ऑपरेशनल मैनुअल अध्याय 2, बिन्दु संख्या 2.4) राजस्थान संवाद के अधिकतम अधिकारी पदेन आधार पर कार्य कर रहे है। राजस्थान संवाद में कर्मचारी एजेंसी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत हैं, जो कि लोक सेवक नही है।

राजस्थान संवाद के विधान अनुसार राजस्थान संवाद के नियमों व वेतनमान आदि की प्रक्रिया सरकारी तौर तरीको से हटकर रखी जायेगी। अतः राजस्थान संवाद स्वयं के ऑपरेशनल मैनुअल के आधार पर कार्य करता है। यहां राज्य सरकार के नियम लागू नही होते।

माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय केन्द्रिय सूचना आयोग, दिल्ली ने भी अपने विनिश्चय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी संस्था को राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय मदद परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 2 (स) के तहत लोक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता।

अतः दिनांक 12.11.2013 को राजस्थान संवाद की समिति एवं अध्यक्ष, प्रबंध समिति द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं केन्द्रीय सूचना आयोग, दिल्ली के विनिश्चयों के क्रम एवं विधिक राय के अंतर्गत राजस्थान संवाद की कार्य प्रणाली, उत्पत्ति एवं स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत राजस्थान संवाद को लोक प्राधिकरण की परिभाषा एवं परिधि से बाहर किया गया है। पूर्व में भी राजस्थान संवाद राज्य सरकार के लोक प्राधिकरण की सूची में सम्मिलित नही था अतः क्रमांक प्रस्था/विविध/सू.अ./05/10810–34 दिनांक 14.06.2011 के आदेश दिनांक 12.11.2013 से निरस्त माने जाते है।

वरिष्ठ प्रबंधक

प्रतिलिपि :–
1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ प्रबंधक

क्या है पूरा मामला?

मेरे जैसे कई आरटीआई एक्टिविस्ट,जो RTI को भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकारी तंत्र मे पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का टूल समझते है,परंतु उनको तब गहरी हताशा हाथ लगती है जब उनके द्वारा राजस्थान सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग(जिसे सरकार ने अन्य कर;जैसे GST,VAT आदि की तरह सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन पर होने वाले भुगतानों का 15% कटमनी लेने के अधिकार दिये है)से RTI के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही से संबन्धित सूचनाए मांगी जाती है और सरकारी पैसे के खर्चे का हिसाब मांगा जाता है|लेकिन उनके सूचना आवेदन पर राजस्थान संवाद द्वारा टका सा जवाब दिया जाता है,कि राजस्थान संवाद लोक प्राधिकरण नहीं है और विभाग के मंत्री और राजस्थान संवाद की समिति एवं अध्यक्ष प्रबंध समिति के आदेश दिनांक 12/11/2013 द्वारा इसे सूचना के अधिकार से बाहर किया जाता है|

क्या वाकई मंत्रीजी ने पत्रावली पर हस्ताक्षर किए है?

अब आपको बताते है कि मामले की वास्तविकता क्या है,यह वर्ष 2013 के अंतिम महीने की बात है जब राजस्थान संवाद मे भ्रष्टाचार चरम पर था,सूचना कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना आवेदनों के ढेर लगाकर,भ्रष्ट अधिकारियों की नाक मे दम कर रखा था,उनके द्वारा ऐसे ऐसे फिजूलखर्ची,गबन,हेराफेरी के मामलों से संबन्धित सूचनाए मागी जा रही थी,जिनका खुलासा होने से भ्रष्ट अधिकारियों का जेल जाना तय था|

ऐसे मे राजस्थान संवाद के कर्ता-धर्ताओं द्वारा आपस मे साँठ-गांठ कर,राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार से बाहर करने की पत्रावली चलायी गयी|लेकिन बदकिस्मती से तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव राजीव स्वरूप के विदेश जाने से यह पत्रावली शेलेन्द्र अग्रवाल,जिन्हे उस समय इस विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था,के पास पहुँच गयी|चूंकि शेलेन्द्र अग्रवाल की

गिनती तेज तर्रार अधिकारियों मे होती है लिहाजा,उनको भ्रष्ट अधिकारियों की मंशा भाँपते देर नहीं लगी और उनके द्वारा इस पत्रावली पर गंभीर आक्षेप लगा कर जवाब तलब किया|शेलेन्द्र अग्रवाल के इस कदम से भ्रष्ट अधिकारियों के पैरों से जमीन खिसक गयी और उन्होने इस पत्रावली को दबाने मे ही भलाई समझी|लेकिन शीघ्र उनको एक मौका नजर आया,चूंकि वर्ष दिसंबर 2013 मे विधानसभा चुनाव होने थे,लिहाजा राज्य मे आचार संहिता लगी हुई थी,इस मौके का फायदा उठाते हुए,पत्रावली के उस हिस्से को अपनी चालबाजियों से अन्य नोटशीट रखकर छुपा दिया और बिना प्रमुख शासन सचिव महोदय को पत्रावली पर लिए,भ्रष्ट अधिकारियों की टोली तत्कालीन मंत्री महोदय के पास पहुँच गयी और उन्हे गुमराह कर उनसे इस पत्रावली पर हस्ताक्षर करवा लिए|

यही नहीं जिस पत्र क्रमांक/राज. संवाद/13/1470/(अ) दिनांक 29/11/2013 के द्वारा यह कार्यालय आदेश जारी किया गया सूत्रों के अनुसार उसका भी कोई वजूद नहीं है|क्यूंकि इसे भी सक्षम स्वीकृति के बैक डेट मे जारी किया गया है|

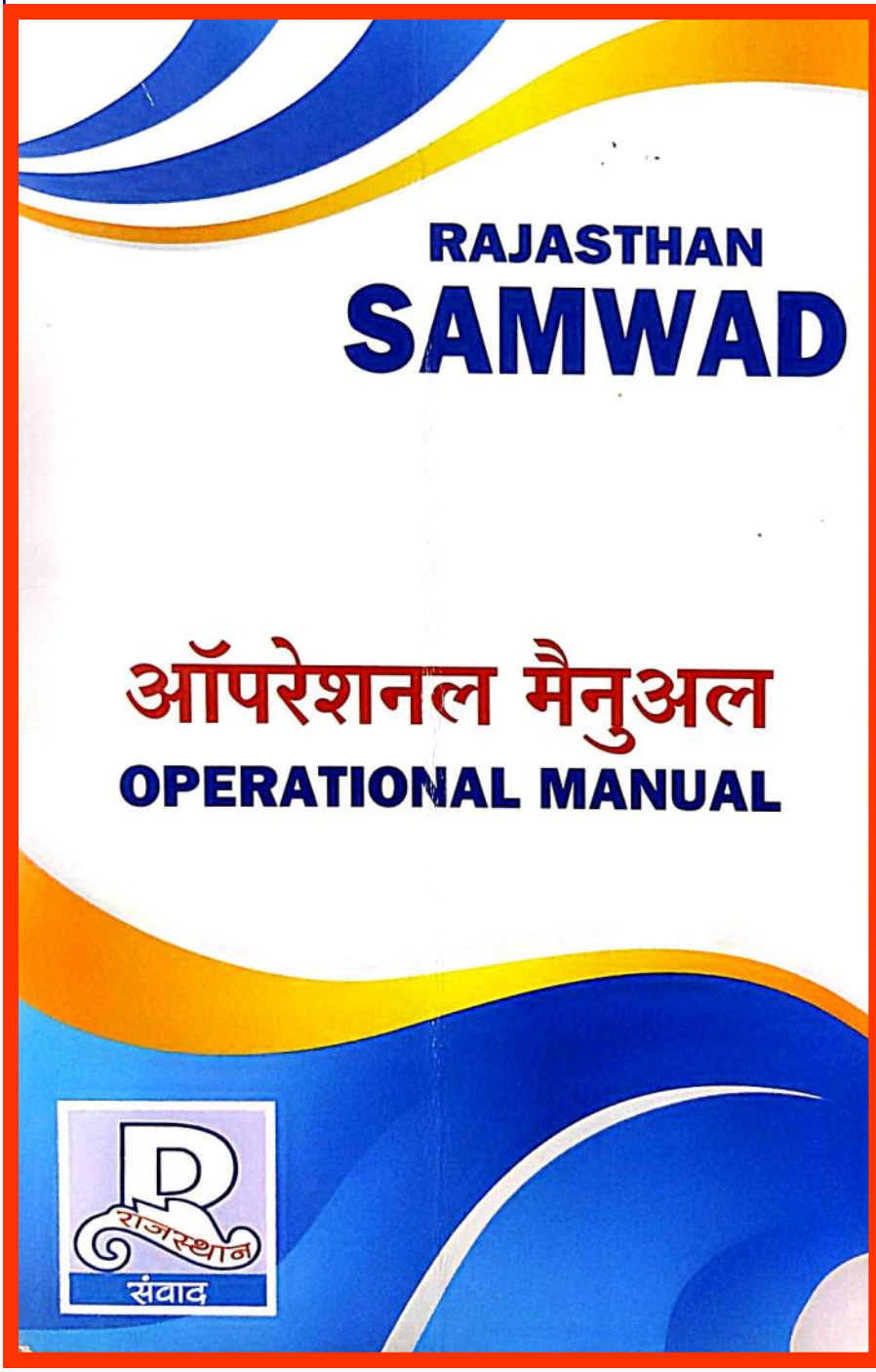

राजस्थान संवाद के ऑपरेशन मैनुअल पर भी तत्कालीन मंत्री महोदय ने जताई थी गहरी आपत्ति|

आपको बता दें कि जिस ऑपरेशन मैनुअल को राजस्थान संवाद अपना संविधान मानती है वह भी कोई दूध का धुला नहीं है|सूत्रों के अनुसार इस तथाकथित ऑपरेशन मैनुअल की पत्रावली पर भी तत्कालीन मंत्री महोदय द्वारा गंभीर आक्षेप लगाए गए थे और तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा द्वारा उन आक्षेपों पर स्पष्टिकरण मांगा गया था परंतु उसके बावजूद बिना मंत्री महोदय को जवाब दिये बिना सक्षम स्वीकृति के इस ऑपरेशन मैनुअल को जारी कर दिया गया|

पोर्टल के चीफ एडिटर की अनुमति पश्चात कोई भी समाचार पत्र-पत्रिका,न्यूज एजेंसी इस रिपोर्ट या इसके अंश को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल द्वारा राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखने की पत्रावली पर क्या गंभीर आक्षेप लगाए थे,जिससे घबराकर,राजस्थान संवाद के अधिकारियों ने इसे प्रमुख शासन सचिव महोदय के सामने दोबारा तलब नहीं किया?
2. तत्कालीन मंत्री महोदय को गुमराह कर पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाने की साजिश मे कौन कौन अधिकारी शामिल है?
3. राजस्थान संवाद के ऑपरेशन मैनुअल मे क्या गड़बड़ियाँ है जिनको गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन मंत्री महोदय द्वारा इस पत्रावली को लौटानी पड़ी?
4. आखिर क्यूँ राजस्थान संवाद के अधिकारी जनता को सरकारी पैसों का हिसाब नहीं देना चाहते?क्या यह पैसा उनके बाप का है?
5. आखिर क्यूँ राजस्थान संवाद के अधिकारी राजस्थान सूचना आयोग के आदेश,जिसमे राजस्थान संवाद को लोक प्राधिकरण मानते हुए,आरटीआई के दायरे मे माना था,के बावजूद इस आदेश को राजस्थान उच्च न्यायालय मे चुनोती दे रहे है?
6. आखिर क्यूँ राजस्थान संवाद के अधिकारी राजस्थान उच्च न्यायालय के नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे है?
7. क्या वर्तमान मंत्री महोदय और प्रमुख शासन सचिव महोदय की आँखों पर पट्टी बंधी हुई है जो वह राजस्थान संवाद की सैंकड़ों शिकायतों के बावजूद यहा पर किसी ईमानदार छवि वाले अधिकारी को नियुक्त नहीं कर रहे है?
8. कौन है इस गेम का मास्टरमाइंड?आखिर कौन कौन है भ्रष्टाचार के इस खेल मे शामिल?
9. कौनसी एजेंसी करेगी इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच?वित्त विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या और कोई संस्था?
10. क्या इस मामले मे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उन्हे जेल की सलाखों के पीछे पहुचाया जाएगा?
11. अपनी स्थापना से लेकर आज दिनांक तक राजस्थान संवाद मे कितने करोड़ों रुपयों की बंदरबाँट हो चुकी है?
12. क्या वाकई सरकारी तंत्र मे RTI का मतलब राइट तो इगनोर हो गया है?
13. कौन है राजस्थान संवाद के कर्ता-धर्ता,जो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सैकड़ों सूचना आवेदकों के संविधान प्रदत्त अधिकार का हनन कर रहे है?